

2

3/5

जिला पदाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में भाड़े पर वाहन हेतु दिनांक 23.08.10
आयोजित जिला स्तरीय क्रय समिति की बैठक की कार्यवाही:

उपस्थित

1. जिला पदाधिकारी, मधेपुरा।
2. उप विकास आयुक्त, मधेपुरा।
3. उपर समाहर्ता, मधेपुरा।
4. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, मधेपुरा।
5. जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा।
6. कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा।
7. जिला बजारत उप समाहर्ता, मधेपुरा।
8. श्री रमण कुमार सिंह वास्ते सुनील कुमार गाड़ी मालिक।
9. मे० तजवीर आलम वास्ते मे० सुकीर आलम गाड़ी मालिक।
10. श्री केशरी सिंह नेपाली वास्ते दीवेश गुंजन गाड़ी मालिक।

कार्यवाही :-

समाहरणालय एवं अनुमंडल कार्यालय के उपयोग में लाये जानेवाली भाड़े का वाहन हेतु दिनांक 18.08.10 के दैनिक हिन्दुस्तान समाचार पत्र में निविदा प्रकाशित किया गया। मधेपुरा जिला के लिए भाड़े पर वाहन लेने हेतु निर्धारित समय तक बंद लिफ्टपत्र में प्राप्त कुल चार निविदा को दिनांक 23.08.2010 क्रय को समिति के समक्ष खोला गया तथा निविदा दाता द्वारा समर्पित निविदा में अंकित दर की समीक्षा की गई। निविदा द्वारा समर्पित दर निम्न प्रकार है :-

क्र०	निविदा दाता का नाम	गाड़ी का नाम	दर	
			ए०सी० प्रतिदिन	मं ए०सी० प्रतिमाह
1	श्री अशरफी कुमार मिश्रा अशोक कुमार मिश्रा वार्ड न०-17, गंगजला, सहरसा।	सुमो विक्टा ए०सी०	25500-00	-
2	श्री सुनील कुमार कर्पूरी नगर, वार्ड न०.12, मधेपुरा	जाइलो ए०सी०	24000-00	-
3	एस०के० इण्टरप्राइजेज, मधेपुरा।	बोलेरो, सुमो	-	30000.00 30000.00
4	मोनाली टेलीकॉमनिकेशन, मेन रोड, मधेपुरा	बोलेरो, सुमो	--	30000.00 30000.00

क्रय समिति के सदस्यों द्वारा निविदा के साथ लग्न कागजातों की समीक्षा की गई तथा निविदा में दर अधिक रहने के कारण उपस्थित L4 निविदा दाता मे० मोनाली टेलीकॉमनिकेशन, के प्रतिनिधि अशोक कुमार, श्री सुनील कुमार के दर निगोशिएसन के आधार पर निम्न प्रकार वाहनों का भाड़ा निर्धारित किया गया।

5

ए०सी० का भाड़ा प्रतिमाह, सुमा शिवदा	नव ए०सी० का भाड़ा प्रतिमाह, बोलेरी एवं सुमो
22000=00	18000=00

उपर्युक्त दर चालक एवं मेनटेनेन्स सहित रहेगा। इंधन का खर्च जिला प्रशासन द्वारा व्यय किया जायगा।

बैठक में श्री अशोक कुमार द्वारा सभी गाड़ी भाड़े पर देने की सहमति व्यक्त की गयी। बैठक में सर्वसम्मति से निधिदा में अंकित शर्तों के अधीन भाड़े पर वाहन लेने का निर्णय किया गया।


अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।



 श्री अशोक कुमार
 सहायक वाणिज्य कर आयुक्त, मधेपुरा
 ज्ञापांक 42-3/अपरा, दिनांक 10/12/10


 जिला पदाधिकारी
 मधेपुरा।

प्रतिलिपि:- श्री अशोक कुमार सहायक वाणिज्य कर आयुक्त एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि:- सहायक वाणिज्य कर आयुक्त, मधेपुरा/उप विकास आयुक्त, मधेपुरा/अपर समाहर्ता, मधेपुरा/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र मधेपुरा/जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा/जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा/कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा/मोटर यान निरीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 श्री अशोक कुमार
 सहायक वाणिज्य कर आयुक्त, मधेपुरा


 जिला पदाधिकारी
 मधेपुरा।

जिला स्तर से निदेशानुसार 20सी० वाहन का मो 22000=00 वरिष्ठ हजाद रुपये का दर स्वीकृत है, लेकिन अज्ञान मो 19000=00 (30सी० हजाद) रुपये का ही अज्ञान किया जाता है।

प्रतिलिपि जिला योजना विभाग पदाधिकारी, कलकत्ता को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशानुसार कहना है कि इस दर को जिला के वेबसाइट पर प्रकाशित करने का कष्ट किया गया।


 जिला पदाधिकारी
 मधेपुरा।